हरियाणा सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 1996-97

की

NIEPA DC
D10025

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

— 54552
378.06
HAR-U
LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-10025
Date 05-01-99.

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF HIGHER EDUCATION FOR THE YEAR 1996-97

During the period under report the expension of Higher Education continued both on the quantitative and qualitative side. The number of colleges in the State which was 45 in 1966 increased to 150 (Govt. Colleges-44, Non-Govt. Colleges-106) during the year 1996-97. Out of these, there were 18 Colleges of Education. One new College named Shambu Dayal Girls College, Sonipat was permitted to start and Sanjay College, Ateli (M. garh) was taken over by the Govt. during the year 1996-97. Other than these 3 Universities and two Post Graduate Regional Centres also functioned in the State during this period.

The demand for Higher Education was on the rise and the same was reflected in the number of students opting for Higher Education. A total of 139996 students received Higher Educarion (General) in the Colleges and the Universities of the State during 1996-97. Out of these 58732 were Girls. A total of 3858 students were enrolled in the Colleges of Education during the year 1996-97. Out of which 2043 were Girls.

An expenditure of a sum of Rs. 10217.00 lacs was incurred on Higher Edueation during the year 1996-97. Government provided generous grants to Non-Govt. Colleges in the shape of grant-in-aid to the tune of 95% of the deficit on salaries of their staff. An amount of Rs. 37.43 crores was provided as grant-in-aid to the Non-Govt. Colleges during the period under report.

NSS volunteers was 45000 in the Universities and the Colleges of the State. A sum of Rs. 70.00 Lacs was sanctioned for NSS Programme for the year 1996-97.

For the encouragement of literary activities, Haryana Sahitya Academy, Haryana Punjabi Academy and Haryana Urdu Academy are functioning in the State. Haryana Sahitya Academy also encourages research in the literary and cultural traditions of Haryana. The Academy also sets guidelines and policies for the preparation of books in Hindi at the University level. During the period under report various collections of stories, poems, One Act Plays, Essays in Hindi and Punjabi etc. were published. The Academy also provided financial help to the tune of Rs. 30,000/- to the Writers for publishing Eight books during this period. Besides organising various literary activities like literary functions, seminars, symposiums and books competition, etc. books of the gross value of Rs. 7.65 lacs were also sold during the year 1996-97.

During the period under report Haryana Govt established a Haryana Punjabi Academy for the encouragement of Punjabi Literature and Language.

Urdu Academy encourages Urdu Language in Haryana State and also encourages Urdu Literary activities. During the period under report Academy conducted three Urdu Centres in various cities, 7 Mushairas were organised and 5 Voluntary organisations were provided aid for organising Literary functions.

Shri Ram Bilas Sharma was the Education

Minister during the period under report. Sh. P.R. Kaushik, I A.S. Sh. J.D. Gupta, I.A.S., Shri L.M. Jain, I.A.S. Financial Commissioners and Secretaries and Smt. Meenakshi Anand Choudhary, I.A.S. and Smt. Komal Anand, I.A.S. Commissioner and Secretaries to Government, Haryana held the charge of Education Department in different periods. Sh. S.K. Sexana, I.A.S. was the Director of Higher Education, Haryana during the period under report.

Vishnu Bhagwan

Financial Commissioner & Secretary to Government, Haryana, Education Department, Chandigarh.

उच्चतर शिक्षा विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 1996-97 की समीक्षा

उच्चतर शिक्षा विभाग ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान परिणामात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टि से विस्तार किया । महाविद्यालयों की संख्या जो कि वर्ष 1966 में 45 थी, वर्ष 1996-97 में बढ़ कर 150 (राजकीय 44 तथा गैर सरकारी 106) हो गई है । इनमें से 18 शिक्षा महाविद्यालय थे । रिपोर्टाधीन अवधि में शम्भू दयाल कन्या महाविद्यालय सोनीपत आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई तथा राज्य सरकार द्वारा संजय महाविद्यालय भटेली का अधिग्रहण किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य में रिपोर्टाधीन अवधि में तीन विश्वविद्यालय तथा दो स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र भी कार्य कर रहे थे ।

राज्य में उच्चतर शिक्षा की मांग बढ़ती रही और यह तथ्य उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिबिम्बित हुआ। वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य के महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कुल 139996 विद्यार्थियों ने शिक्षा (सामान्य) ग्रहण की, जिन में से 58732 छात्राएं थीं। वर्ष 1996-97 के दौरान शिक्षण महाविद्यालयों में कुल 3856 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया जिन में 2043 छात्राएं थीं।

वर्ष 1996-97 के दौरान उच्चतर शिक्षा पर 10217.00 लाख रुपये खर्च किये गये । सरकारी सहायता अनुदान के रूप में गैर सरकारी महाविद्यालयों को उनके अमले के वेतन पर हुए खर्च के घाटे का 95 प्रतिशत तक पर्याप्त अनुदान देती है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में 37.43 करोड़ रुपये की राशि दी गई । इसी प्रकार वर्ष 1996-97 के दौरान विश्वविद्यालयों/क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्रों को अनुदान के रूप में 29.71 करोड़ रुपये की राशि दी गई । इसके अतिरिक्त विभाग ने अन्य संस्थाओं को भी 62.00 लाख रुपये की राशि दी ।

भारत सरकार तथा राज्य सरकार की छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता सम्बन्धी विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 22565 विद्यार्थियों के लाभ के लिए 203.62 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इनमें से 168.06 लाख रुपये की राशि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित 19499 विद्यार्थियों को लाभ देने हेतु खर्ची गई।

पुस्तकालय शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में एक केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, 11 जिला पुस्तकालय तथा 12 उपमण्डल पुस्तकालय चल रहे थे। वर्ष 1996-97 में पुस्तकालयों के लिए 72.21 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

वर्ष 1996-97 में राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 200.00 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

भाषा कक्ष ने वर्ष 1996-97 में 1650 मानक पृष्ठों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया गया।

विभाग ने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने हेतु भरसक प्रयास किये। वर्ष 1996-97 में 76 प्राध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। नीपा द्वारा 32 पुस्तकाध्यक्षों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

28 महिला प्राध्यापकों जो अपने-अपने महाविद्यालयों में महिला विकास एवं अनुशीलन कक्षों को कार्यभारी थी, को इन कक्षों को चलाने के लिए नीपा के माध्यम से विशेष पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्बन्ध में राज्य कार्यान्वयन कार्यक्रम और राष्ट्रीय कार्यान्वयन कार्यक्रम में निहित विभिन्न नीति पैरामीटरों की क्रियान्विति में हुई मध्यावधि प्रगति का अनुमान लगाया गया और आगामी नीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्य स्तर की त्री/द्वि दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राजकीय और गैर-सरकारी महाविद्यालयों के सभी प्रधानाचार्य इन महाविद्यालयों में से प्रत्येक महाविद्यालय से एक

प्राध्यापक एवं राज्य के विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और नीपा के प्रतिनिधि शामिल थे ।

विद्यार्थियों/अमले की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने/उन्हें बढ़ाने, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों को सुदृढ़ करने के विचार से छः ग्रामीण तथा चार शहरी क्षेत्र के महाविद्यालयों को 1.35 लाख रुपये प्रति महाविद्यालय की दर पर विशेष अनुदान दिया गया । प्रबन्ध व्यवस्था की कार्यकुशलता और सेवा सम्बन्धी मामलों में सुधार लाने के विचार से सभी गैर-सरकारी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों का द्विदिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया । "महिला शिक्षा समानता" स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न महाविद्यालयों से चुनी गई 90 लड़कियों और दस अध्यापिकाओं के लिए राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक यात्रा भी आयोजित की गई। राज्य के अन्य दस राजकीय महाविद्यालयों में भी महिला विकास एवं अनुशीलन कक्ष स्थापित किये गये ।

राष्ट्रीय कैडिट कोर स्कीम के अन्तर्गत कैडेटों को खेलकूद खोज, क्रियाकलापों, सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक कार्यों और प्रशासन सम्बन्धी अन्य मामलों के अतिरिक्त सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों युनिटों में प्रशिक्षण दिया जाता है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर के वरिष्ठ अनुभाग में कैडेटों की प्राधिकृत संख्या 12,280 थी । वर्ष 1996-97 के दौरान एन.सी.सी. के लिए 264.39 लाख रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया था । इसी प्रकार स्वैच्छिक कार्यकर्ता विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास के लिए राज्य में राष्ट्रीय सेवा स्कीम कार्यक्रम चलाया जाता है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा स्कीम के स्वयं सेवकों की स्वीकृति संख्या 45,000 थी । वर्ष 1996-97 में एन.एस.एस. कार्यक्रम के लिए 70.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई ।

राज्य में साहित्यिक क्रियाकलापों को बढावा देने के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी और हरियाणा उर्दू अकादमी कार्यरत है । हरियाणा साहित्य अकादमी हरियाणा की साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्पराओं के सम्बन्ध में अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करती है । यह अकादमी विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी में पुस्तकें तैयार करने के लिए मार्ग निर्देश और

नीतियां भी बनाती है : रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान हिन्दी, पंजाबी की कहानियों, कविताओं एकांकियों और निबन्धों के संग्रहों का प्रकाशन किया गया। इस अवधि में अकादमी द्वारा 8 पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए लेखकों को 30,000/- रुपये की राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। साहित्यिक समारोह, सेमीनार, सिम्पोजियम तथा पुस्तक प्रतियोगिता इत्यादि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक गतिविधियों के अतिरिक्त वर्ष 1996-97 में 7.65 लाख रुपये की कुल मूल्य की पुस्तकें भी बेची गई।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान हरियाणा सरकार ने पंजाबी साहित्य तथा पंजाबी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा पंजाबी अकादमी का गठन किया है।

उर्दू अकादमी हरियाणा राज्य में उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करती है तथा उर्दू साहित्य को बढावा देती है। रिपोर्टाधीन अवधि में अकादमी ने तीन उर्दू केन्द्र चलाये, 7 मुशायरों का आयोजन किया तथा 5 स्वैच्छिक साहित्यिक संस्थाओं को साहित्यिक समारोह के आयोजन के लिए सहायता अनुदान दिये।

रिपोर्टाधीन अवधि में श्री राम बिलास शर्मा शिक्षा मन्त्री रहे। श्री पी. आर. कौशिक, आई. ए. एस., श्री जे. डी. गुप्ता, आई.ए.एस. श्री एल.एम. जैन, आई.ए.एस. ने वित्तायुक्त एवं सचिव के रूप में तथा श्रीमती मीनाक्षी आनन्द चौधरी, आई. ए. एस. तथा श्रीमती कोमल आनन्द, आई.ए.एस. ने आयुक्त एवं सचिव के रूप में शिक्षा विभाग हरियाणा को भिन्न अवधि में सम्भाला। रिपोर्टाधीन अवधि में श्री एस. के. सक्सेना आई.ए.एस. उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक रहे।

विष्णु भगवान,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग, चण्डीगढ़।

उच्चतर शिक्षा विभाग की वर्ष 1996-97 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय पहला

प्रशासन एवं संगठन

वर्ष 1996-97 की अवधि में उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षा मन्त्री श्री राम बिलास शर्मा के पास रहा । शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के पद पर 31-3-96 से 31-5-96 तक श्रीमती मीनाक्षी आनन्द, चौधरी आई. ए.एस. आयुक्त एवं सचिव, 21-5-96 से 20-8-96 तक श्री पी. आर. कौशिक, आई.ए.एस. वित्तायुक्त एवं सचिव, 20-8-96 से 19-9-96 तक श्री जे.डी. गुप्ता आई.ए.एस. वित्तायुक्त एवं सचिव, 19-9-96 से 31-1-97 तक श्री एल.एम.जैन, आई0ए0एस0 वित्तायुक्त एवं सचिव तथा 31-1-97 से 31-3-97 तक श्रीमती कोमल आनन्द आई0 ए0 एस0 आयुक्त एवं सचिव ने कार्य किया। संयुक्त सचिव के पद पर श्री राजीव शर्मा, आई0ए0एस ने कार्य किया ।

निदेशालय स्तर

निदेशक उच्चतर शिक्षा हरियाणा के पद पर श्री एस. के. सक्सेना, आई.ए.एस. ने कार्य किया । निम्नलिखित पदों पर अन्य अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये निदेशक उच्चतर शिक्षा को सहयोग दिया ।

क्रमांक	पद	पदों की संख्या
1	2	3
1.	संयुक्त निदेशक, महाविद्यालय	1
2.	प्रशासन अधिकारी	1
3.	उप निदेशक महाविद्यालय	5

1	2	3
4.	आफिसर आन स्पैशल ड्यूटी	1
5.	जिला न्यायवादी	1
6.	सहायक निदेशक महाविद्यालय	5
7.	लेखा अधिकारी महाविद्यालय	1
8.	रजिस्ट्रार शिक्षा	1
9.	बजट अधिकारी	1
10.	सहायक जिला न्यायवादी	2

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय

राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रत्यक्ष रूप में सुचारू रूप से प्रशासन तथा उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए निदेशक उच्चतर शिक्षा के प्रति उत्तरदायी है। परन्तु गैर सरकारी महाविद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्धक समितियां ही चलाती हैं। राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय सम्बन्धित विश्वविधालयों की शिक्षा नीति को अपनाते हैं।

शिक्षा पर व्यय

वर्ष 1996-97 में महाविद्यालय शिक्षा पर 10317.00 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। इसमें योजनोत्तर पक्ष पर 8603.55 लाख रुपये तथा योजना पक्ष पर 1613.45 लाख रुपये व्यय हुए। वर्ष 1995-96 में यह व्यय 10045.38 लाख रुपये था जिसमें योजनोत्तर व्यय 8151.58 लाख रुपये तथा योजना पक्ष पर 1893.80 लाख रुपए था।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान

अराजकीय महाविद्यालयों में शिक्षा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार उदारतापूर्वक अनुदान देती है। अनुरक्षण अनुदान के अंतर्गत राज्य सरकार अराजकीय महाविद्यालयों को उनके घाटे का 95% तक अनुदान

देती है । केवल यही नहीं अराजकीय महाविद्यालयों को उनके विकास के लिए भी सहायता समय-समय पर दी जाती रही है । रिपोर्टाधीन अवधि में विश्वविद्यालयों/क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्रों तथा महाविद्यालयों की शिक्षा एवं शिक्षा विकास कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अनुदान दिये जाते हैं ।

	(राशि लाख रुपये में)
1. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	1230·00
2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक	890·84
3. गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	770.00
4. स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, रिवाड़ी	80.00
5. स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, सिरसा	—
6. अराजकीय महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	3743·00

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य संस्थाओं को भी विभाग द्वारा अनुदान दिये गये

संस्था का नाम	(राशि लाख रुपये में)
1. हरियाणा साहित्य अकादमी	30.00
2. हरियाणा उर्दू अकादमी	16.00
3. पंजाबी साहित्य अकादमी	6.00

अराजकीय महाविद्यालयों में प्रशासकों की नियुक्ति

यदि किसी महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति उचित तौर पर कार्य नहीं करती है तो सरकार उस महाविद्यालय का अधिग्रहण करके उसमें प्रशासक नियुक्त कर देती है ।

रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्रशासक नियुक्त किये गये :—

1. हिन्दु कन्या महाविद्यालय, जगाधरी
2. कन्या महाविद्यालय फतेहपुर, पुण्डरी

महाविद्यालय शिक्षा (सामान्य)

हरियाणा राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए तीन विश्वविद्यालय स्थापित हैं । ये विश्वविद्यालय हैं (1) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (2) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र तथा (3) गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार ।

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों की संख्या निम्न रही:—

	लड़के	लड़कियां	जोड़
राजकीय महाविद्यालय	40	3	43
अराजकीय महाविद्यालय	50	39	89

रिपोर्टाधीन अवधि में एक गैर-सरकारी महाविद्यालय शम्भुदयाल कन्या महाविद्यालय सोनीपत को आरम्भ करने की अनुमती दी गई तथा संजय कालेज बटेली (महेन्द्रगढ़) को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया ।

पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सैन्टर

राज्य सरकार इस बात के लिए सजग है कि राज्य में शिक्षा का विस्तार संतुलित रूप में हो । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्नातकोत्तर सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सैन्टर स्थापित करती है । एक

पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सैन्टर रिवाड़ी में पहले से ही कार्यरत है। वर्ष 1994-95 में सरकार द्वारा ऐसे दो पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सैन्टर हिसार तथा सिरसा में प्रारम्भ किये थे। पोस्ट ग्रेजुएट रीजनल सैन्टर हिसार को वर्ष 1996-97 से गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

राज्य में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में वर्ष 1996-97 की अवधि में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार रही:—

(क) कुल छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
राजकीय महाविद्यालय	26971	11749	38720
अराजकीय महाविद्यालय	46573	43659	90234
विश्वविद्यालय	7718	3324	11042
	81264	58732	139996

(ख) अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
राजकीय महाविद्यालय	2636	687	3323
अराजकीय महाविद्यालय	3387	1088	4475
विश्वविद्यालय	1089	171	1260
	7112	1946	9058

रिपोर्टाधीन अवधि में महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

कुल प्राध्यापक	पुरुष	महिला	जोड़
राजकीय महाविद्यालय	1237	720	1957
अराजकीय महाविद्यालय	1722	1328	3050
विश्वविद्यालय	639	232	871
	3598	2280	5878

अनुसूचित जाति के प्राध्यापक	पुरुष	महिला	जोड़
राजकीय महाविद्यालय	34	25	59
अराजकीय महाविद्यालय	37	18	55
विश्वविद्यालय	24	12	36
	95	55	150

सहशिक्षा

हरियाणा राज्य में लड़कों के सभी महाविद्यालयों में लड़कियों को भी पढ़ने की अनुमती है ।

अल्प संख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को विशेष सुविधाएं

शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्चतर शिक्षा के लिए साईकिल तथा स्टेशनरी की सुविधा देने हेतु प्रति वर्ष एक लाख रुपये की राशि

का योजना बजट में प्रावधान करवाया जाता है। वर्ष 1996–97 में भी इस उद्देश्य के लिए एक लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई । यह राशि प्रति छात्र 100/–रु0 की दर से स्टेशनरी के लिए तथा प्रति छात्र 1200/–रु0 की राशि दूरदराज से आने वाले छात्रों को साईकिल की खरीद हेतु वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। वर्ष 1996–97 में इस स्कीम के अन्तर्गत 78000/–रु0 की राशि बांटी गई ।

महाविद्यालयों में पढ़ रहे कक्षा 10+1 से बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0 काम की कक्षाओं के अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्प संख्यकों (मुस्लिम) छात्रों को अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान के विषय में रिमीडियल कोचिंग वर्ष में 3 मास के लिए दी जाती है तथा पढ़ाने वाले प्राध्यापकों को 500–रु0 प्रति विषय प्रति मास की दर से मानदेय दिया जाता है । इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष, 1995–96 में 2.85 लाख रुपये का योजना बजट में प्रावधान करवाया गया है तथा 134500–रुपये खर्च किये गये । वर्ष 1996–97 में फण्डस की कमी के कारण इस स्कीम के लिए सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई ।

अध्याय तीसरा

छात्रवृति तथा वित्तीय सहायता

योग्य विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिए राज्य तथा भारत सरकार की भिन्न-भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को भी शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की छात्रवृति तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इन छात्रवृतियों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

1. भारत सरकार की राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृति

मैट्रिक उपरान्त महाविद्यालयों तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य विद्यार्थियों को उत्साहित करने के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृति योजना के अन्तर्गत छात्रवृतियां दी जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को 60/–रुपये से 300/–रुपये तक की मासिक दर से छात्रवृतियां दी जाती हैं। वर्ष 1996–97 की अवधि में 1452 विद्यार्थियों को छात्रवृतियां प्रदान की तथा इस पर 13.09 लाख रुपये व्यय हुए। वर्ष 95–96 में 1405 छात्रवृतियां प्रदान की गई तथा इस पर 13.07 लाख रुपये की राशि व्यय की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत उन विद्यार्थियों को जिन के माता-पिता की वार्षिक आय 24000/-रु0 से अधिक है, 100 रुपये का नौशनल पारितोषिक तथा प्रमाण पत्र दिया गया।

2. भारत सरकार की मैट्रिक उपरान्त अनुसूचित जाति छात्रवृति

इस छात्रवृति योजना के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न कक्षाओं/कोर्सों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 30/ रु0

से लेकर 200/ रु0 तक मासिक दर से छात्रवृति दी जाती है । जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 18000/– रुपये तक है उन्हें पूरी दर से छात्रवृति दी जाती हैं और जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय 18001 से 24000/– रुपये तक है उन्हें आधी दर से छात्रवृति दी जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996–97 में 10370 छात्र/छात्राओं को छात्रवृति दी गई तथा 128.06 लाख रुपये व्यय हुए । वर्ष 1995–96 में 7010 छात्र/छात्राओं को छात्रवृतियां दी गई तथा 82.92 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी ।

3. राज्य योग्यता छात्रवृति

इस योजना के अन्तर्गत योग्य हरियाणवी विद्यार्थियों को मैट्रिक उपरान्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने के लिए 50/– रु0 से लेकर 300/– रुपये मासिक दर से छात्रवृति दी जाती है। वर्ष 1996–97 में 1125 छात्रवृतियां दी गई तथा इन छात्रवृतियों पर 13.48 लाख रुपये व्यय किये गए। वर्ष 1995–96 में 910 छात्रवृतियों पर 11.62 लाख रुपये व्यय किये गए थे ।

4. राज्य कल्याण योजना अधीन पिछड़ वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृतियां

हरियाणा राज्य कल्याण योजना के अधीन पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता दी जाती है । निशुल्क शिक्षा और छात्रवृतियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है । इन छात्र/छात्राओं को विभिन्न कोर्सों और कक्षाओं में पढ़ने हेतु 30/– रु0 से 185/– रु0 मासिक दर से छात्रवृतियां दी जाती हैं । वर्ष 1996–97 में इस योजना के अन्तर्गत 9129 छात्रवृतियां दी गई तथा 40.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । वर्ष 1995–96 में 4380 छात्रवृतियों पर 24.00 लाख रुपये की राशि व्यय की गई थी ।

5. अध्यापकों के बच्चों को छात्रवृति

हरियाणा में विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृति देने की व्यवस्था है । यह छात्रवृति 50/– रु0 से 170/– रु0 तक मासिक दर से दी जाती है । जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 25000/– रु0 से कम है वे छात्र ही इस छत्रवृति के पात्र है । वर्ष 1996–97 में 12 छात्रवृतियाँ दी गई तथा उन पर 4800/– रुपये व्यय किये गये । वर्ष 1995–96 में 17 छात्रवृतियों पर 5650/– रुपये व्यय किये गये थे ।

6. अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृतियां

इस योजना के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा के लिए 2000/–रुपये या इससे कम वार्षिक आय वर्ग के अभिभावकों के बच्चों को (12400/–रु0 की आय सीमा इंजीनियरिंग/मैडिकल/कृषि/पशुशालन के कोर्सों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए) 27/– से लेकर 75/– रु0 मासिक दर से छात्रवृतियां दी जाती हैं । इसके अतिरिक्त शिक्षा शुल्क तथा अन्य अनिवार्य फण्ड तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। वर्ष 1996–97 में इस के अन्तर्गत 27 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया तथा 21578/– रु0 की राशि खर्च की गई। वर्ष 1995–96 में 16 विद्यार्थियों पर 12480/– रु0 व्यय किये गये थे ।

7. लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा

दिनांक 1–8–91 से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी तथा गैर सरकारी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक पढ़ने वाली छात्राओं से कोई फीस न ली जाये ।

8. हरियाणा राज्य रजत जयन्ती योग्यता छात्र वृति

यह छात्रवृति योजना वर्ष 1993–94 में हरियाणा राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने की खुशी में आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने के लिए 100/– रु0 से लेकर 300/– रु0 तक मासिक दर से छात्रवृति दी जाती है । वर्ष 1996-97 में 450 छात्रवृतियाँ दी गई तथा इन छात्रवृतियों पर 8.74 लाख रुपये व्यय किये । वर्ष 1995–96 में 455 छात्रवृतियों पर 6.86 लाख रुपये किये गये थे ।

अध्याय चौथा

विविध

शिक्षा महाविद्यालय (अध्यापक प्रशिक्षण)

राज्य में अध्यापक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है। इस समय राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 18 शिक्षा महाविद्यालय स्थापित हैं। इन शिक्षा महाविद्यालयों में कला स्नातकों एवं विज्ञान/गणित स्नातकों के लिए सीटों का बंटवारा 50:50 के अनुपात में किया हुआ है। रिपोर्टाधीन अवधि में इन शिक्षा महाविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1815 लड़के तथा 2043 लड़कियां थीं।

पुस्तकालय

पुस्तकालय अभियान को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1996–97 के बजट में योजनाधीन 39.00 लाख रुपये तथा योजनोत्तर 33.21 लाख रु० की व्यवस्था की गई।

इस समय राज्य में एक सैन्ट्रल स्टेट लाईब्रेरी अम्बाला, 11 जिला पुस्तकालय तथा 12 उपमण्डल पुस्तकालय कार्यरत थे।

वर्ष 1996–97 में म्यूनिसिपल पुस्तकालयों के लिए फर्नीचर तथा पुस्तकें खरीदने के लिए सरकार द्वारा 2.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठान कलकत्ता की मैचिंग ग्रांट स्कीम के अन्तर्गत 5+5 लाख रु० की राशि सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तक तथा फर्नीचर इत्यादि खरीदने के लिए स्वीकृत की गई।

18.3.97 को लाजपत राय भवन चण्डीगढ़ में सार्वजनिक तथा म्युनिसिपल पुस्तकालयों की पुस्तकों का एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया गया।

रिपोर्टाधीन अवधि में उप निदेशक पुस्तकालय के पद को भरा गया।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

भारत सरकार ने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत उच्चतर शिक्षा प्राप्ति के विकास के उद्देश्य से नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की है। यह विश्वविद्यालय राज्य के महाविद्यालयों में अपने अध्ययन केन्द्र भी खोल रहा है। इन केन्द्रों को चलाने का सारा खर्च इस विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जाता है। महाविद्यालय इन केन्द्रों को सायंकाल को मुक्त भवन भी उपलब्ध करवाता है। इन केन्द्रों के खुलने से ऐसे लोगों को उच्चतर शिक्षा के अवसर प्रदान हो सकेंगे जो कि दिन प्रतिदिन की जीविका कमाने के साथ उच्चतर शिक्षा भी ग्रहण करना चाहते हैं, परन्तु महाविद्यालयों में नियमित रूप में दाखिला प्राप्त नहीं कर सकते या सामर्थ नहीं रखते।

राजकीय महाविद्यालयों की मुरम्मत तथा निर्माण कार्य

राज्य के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए वर्ष 1996-97 में विभागीय बजट में 200.00 लाख रु० की राशि व्यवस्थित थी। यह राशि राष्ट्रीय महिला महाविद्यालय फरीदाबाद तथा नाथुसरी चौपटा के नये भवन, रा० महाविद्यालय बहादुरगढ़ के साईंस ब्लाक, रा० महिला महाविद्यालय रोहतक में इनडोर स्टेडियम का निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्षों, चारदीवारी, स्टाफ क्वार्टरज, रा० महाविद्यालय नारनौल तथा जीन्द में लाईब्रेरी ब्लाक इत्यादि निर्माण कार्यों पर सरकार की स्वीकृति अनुसार खर्च की गई।

भाषा अनुभाग

भाषा अनुभाग हरियाणा राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों/निगमों आदि से प्राप्त प्रशासनिक सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी भाषा में अनुवाद करता है इसमें राज्यपाल का अभिभाषण, वित्त मंत्री का भाषण, वित्त सचिव का ज्ञापन बजट अनुमान संबंधी सामग्री, विभागों से प्राप्त प्रशासनिक रिपोर्टों, अधिसूचनाओं वित्त तथा सेवा नियमों/विभागीय नियमों, मैनुअल, कोडस, पत्र प्रपत्र, फार्म तथा मन्त्री परिषद् को प्रस्तुत होने वाले ज्ञापनों की अंग्रेजी से हिन्दी भाषा में अनुवाद सम्मिलित है। वर्ष 1996-97 की अवधि में लगभग 1650 मानक पृष्ठों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया गया।

महिला समानता के लिए शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम

राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को कार्यान्वित करने के लिए कटिबद्ध है। महिला समानता शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसलिए महिलाओं का आत्म विश्वास और आत्म सम्मान बढ़ाने तथा समालोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए रिपोर्टाधीन अवधि में 10 राजकीय महाविद्यालयों में महिला सैल और स्थापित किये गये। इन सैलों की संख्या अब 20 हो गई। इस योजना के अन्तर्गत कुल 2.00 लाख रु0 की राशि आबंटित की गई।

राज्य के 10 महाविद्यालयों में से 90 छात्राओं तथा 10 प्राध्यापिकाओं को सरकारी खर्चे पर अन्य राज्यों के भ्रमण पर ले जाया गया ताकि छात्राओं में आत्म सम्मान, आत्म विश्वास तथा समालोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो सके।

राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों, स्टाफ, प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों में न्यूनतम सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु विशेष राशि की व्यवस्था।

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य के 10 अराजकीय महाविद्यालयों जिनमें 4 पहाड़ी तथा 6 देहाती क्षेत्र के हैं को 1.35 लाख रु0 की विशेष सहायता विशेष अनुदान के रूप में वितरित की गई ताकि उन महाविद्यालयों में स्टाफ प्रयोगशालाओं, छात्राओं की न्यूनतम सुविधाएं, पुस्तकालयों में उपलब्ध सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा सके।

राज्य उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

राजकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने हेतु राज्य में एक उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना की गई। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण समझा गया है ताकि नवीनतम परिवर्तन तथा ज्ञान से परिचित होकर वह ज्ञान उचित रूप में आगे छात्रों को दे सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 1996–97

में राजकीय तथा अराजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 76 प्राध्यापक/प्राध्यापिकाओं के लिए 23-10-96 से 14-11-96 तक राजकीय महाविद्यालय गड़गावां तथा दोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय गुड़गावां में सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करवाये गये।

32 पुस्तकाध्यक्षों के लिये 1-7-96 से 6-7-96 तक निप्पा के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये गये।

28 प्राध्यापिकाओं के लिए महिला सैलों के प्रबन्धन तथा योजना पर निप्पा के माध्यम से 7-5-96 से 9-5-96 तक की अवधि में विशेष कार्यशाला आयोजित करवाई गई।

कार्यशालायें

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तैयार किये गये राज्य स्तरीय प्रोग्राम आफ एक्शन की पुनरीक्षण तथा अब तक हुये कार्य की समीक्षा करने हेतु राज्य स्तरीय 2-2 दिवसीय कार्यशालायें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार तथा राजकीय महाविद्यालय गुड़गावां में फरवरी 1997 में आयोजित करवाई गई। इनमें राज्य के सभी राजकीय/अराजकीय महाविद्यायों के प्राचार्यों/प्रत्येक महाविद्यालय से एक प्राध्यापक/प्राध्यापिका, विश्वविद्यालय, निप्पा तथा यू0जी0 सी0 के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया।

2. राज्य के अराजकीय महाविद्यालयों के प्रबन्धन में सुधार, सेवा मामलों में तत्परता से निपटान इत्यादि हेतु अराजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की राज्य स्तरीय दो दिवसीय कार्यशाला 6-12-96 से 7-12-96 तक आयोजित की गई।

अध्याय पांचवां

एन0सी0सी0 और एन0एस0एस

राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षा प्राप्ति के साथ-साथ उनके बहुरुपी विकास के लिए एन0सी0सी0 और एन0एस0एस0 योजनायें भी चालू हैं। यह दोनों योजनायें भारत सरकार के मार्गदर्शन/नियमों के अधीन चलायी जाती हैं। भारत सरकार इन दोनों योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी देती है। इन दोनों योजनाओं का पृथक-पृथक वर्णन निम्न प्रकार है :—

(एन0सी0सी0) राष्ट्रीय कैडिट कोर

राष्ट्रीय कैडिट कोर योजना वर्ष 1948 में संसद के अधिनियम द्वारा लागू की गई। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी तीनों शाखाओं जल, स्थल तथा वायु सेनाओं का प्रशिक्षण ग्रहण करने के इलावा खेलकूद, साहसिक कार्य, सामाजिक सेवाएं, सांस्कृतिक क्रियाकलाप तथा प्रशासन के अन्य मामलों में प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। एन0सी0सी0 प्रशिक्षण का लक्ष्य कैडिटों में एकता तथा अनुशासन की भावना जागृत करना है और उनमें मातृत्व भाव, नेतृत्व गुण, सद्चरित्र तथा सहयोग की भावना पैदा की जाती है ताकि वह आपातकाल के समय देश की सेवा करें तथा सेनाओं की शाखाओं में कमीशन प्राप्त कर सकें।

एन0सी0सी0 प्रशिक्षण विद्यार्थी स्वेच्छा से प्राप्त करते हैं। इस प्रशिक्षण पर व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर करती हैं। वर्ष 1996-97 में एन0सी0सी0 के लिए 264.39 लाख रुपये व्यय हुए।

इस योजना के कार्यान्वित के लिए लड़कों की 12 बटालियन, लड़कियों की दो बटालियन, 2 वायु स्क्वैड्रन, 1 नौसेना यूनिट है तथा एक कम्पनी सैनिक स्कूल में है।

रिपोर्टाधीन अवधि में शाखावार कैडिटों की स्वीकृत संख्या निम्न प्रकार थी :—

शाखाएं	कैडिटों की संख्या
1	2
1. इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिए)	10080
2. इन्फैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिए)	1600
3. वायु स्क्वैड्रन	400
4. जल यूनिट	200
	12280

एन0सी0सी0 परियोजना के कैडटों के वार्षिक प्रशिक्षण कैम्प, समन्वित प्रशिक्षण कैम्प, राष्ट्रीय एकता कैम्प, निदेशालय समन्वित कैम्प तथा नेतृत्व प्रशिक्षण आदि के कैम्प, लगाये गये। इन कैम्पों में सेना प्रशिक्षण के अतिरिक्त पेड़ लगाना, साक्षरता, बाढ़ जैसे राष्ट्रीय आपदाओं में गरीबों की सहायता करना तथा दहेज नहीं लेने की प्रतिज्ञा करना आदि जैसे कार्य भी किये जाते हैं।

वर्ष 1996–97 के दौरान लगाये गये कैम्पों की संख्या तथा भाग लेने वाले अधिकारियों/कैडटों की संख्या निम्न प्रकार है :—

कैम्पों के नाम	लगाये गये कैम्पों की संख्या	अधिकारियों की संख्या	कैडिटों की संख्या
1	2	3	4
वार्षिक प्रशिक्षण कैम्प	20	222	9959
राष्ट्रीय एकता कैम्प	4	10	462
केन्द्रीय संगठन कैम्प	2	—	55

एन0एस0एस0 (राष्ट्रीय सेवा योजना)

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास के लिए भारत सरकार की सहायता से हरियाणा राज्य में एन0एस0एस0 कार्यक्रम चालू है । इस कार्यक्रम पर खर्चा 7:5 अनुपात में भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर करती हैं । रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में एन0एस0एस0 स्वयं सेवकों की स्वीकृत संख्या 45000 थी । एन0एस0एस0 कार्यक्रम राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा पोलिटैक्निकों में चल रहा है । ये स्वयं सेवक गांवों में जाकर गलियों को साफ करते हैं तथा प्रौढ़ों को पढ़ाते हैं । एन0एस0एस0 कार्यक्रम को मुख्यत: दो भागों में बांटा जा सकता है ।

दैनिक कार्यक्रम

इसके अन्तर्गत स्वयं सेवक अपनाये गये गांवों में सप्ताह के अन्त में या किसी समय में ग्रामीणों तथा स्वयं सेवकों के लिए उचित हो, योजनाओं पर कार्य करते हैं ।

विशेष शिविर कार्यक्रम

स्वीकृत संख्या में 50 प्रतिशत छात्र/छात्रायें 10 दिन के लिए विशेष शिविरों में भाग लेते हैं । ये स्वयं सेवक अपनाये गये गांवों में अधिकतर 10 दिन तक ठहरते हैं । ग्रामीणों के सहयोग से बनाई गई योजनाओं पर कार्य करते हैं । गांव वालों में प्रचलित विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों जैसे कि दहेज प्रथा, धुम्रपान तथा छुआछूत को उन्मूलन करने बारे चेतना पैदा करते हैं ।

रिपोर्टाधीन वर्ष अवधि में एन0एस0एस0 परियोजना के लिए 70.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई ।

रक्तदान योजना के अन्तर्गत 3000 यूनिटें रक्तदान की गई ।

साक्षरता अभियान के अन्तर्गत 22500 स्वयं सेवकों द्वारा शतप्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया ।

वर्ष 1996-97 में लगभग 300 विशेष शिविर लगाये गये । इनमें एन0एस0एस0 स्वयं सेवकों द्वारा ग्रामीणों में प्रचलित बुराईयों को दूर करने जैसे कि दहेज प्रथा उन्मूलन, नशाबन्दी, मादक द्रव्यों का सेवन आदि रोकने एवं नैतिक स्तर ऊपर उठाने के लिए व्यापक प्रयास किये गये । 1996-97 में आयोजित विशेष शिविरों में एन0एस0एस0 स्वयं सेवकों का प्रमुख लक्ष्य नशा मुक्त हरियाणा बनाना रहा है । इस हेतू उन्होंने निदेशालय सत्र, से जारी परिपत्रों के आधार पर कार्यवाही की । नशाबन्दी के लिए छात्र स्वयं सेवकों द्वारा स्टीकरज, बैनरज, पोस्टरज आदि का प्रदर्शन संस्था के परिसर एवं आस-पास किया गया, नशाबन्दी पर कविता पाठ, भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया ।

साहित्य अकादमी

राज्य में साहित्य स्तर को उन्नत करने के लिए तीन अकादमियां स्थापित कर रखी हैं। यह तीनों अकादमी स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्यरत हैं। ये तीन अकादमी (1) हरियाणा साहित्य अकादमी (2) हरियाणा पंजाबी अकादमी तथा (3) हरियाणा उर्दू अकादमी है। इन तीनों अकादमियों का बारी-बारी वर्णन नीचे किया जा रहा है।

1 हरियाणा साहित्य अकादमी

हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन राज्य में साहित्यिक स्तर को उन्नत करने, सभी भाषाओं की साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा हिन्दी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने के लिए किया गया है। यह अकादमी हरियाणा की साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुसंधान को बढ़ावा देती है। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अकादमी को दो भागों में बांटा गया है (1) साहित्य विकास प्रभाग तथा (2) ग्रन्थ अकादमी प्रभाग।

(1) साहित्य विकास प्रभाग

हरियाणा की कला, संस्कृति, इतिहास, साहित्य और लोक साहित्य पर अकादमी द्वारा पुस्तकें तैयार करवाई जाती हैं तथा उनका प्रकाशन किया जाता है। इन विषयों पर देश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा पी० एच० डी० की डिग्री के लिए स्वीकृत शीघ्र प्रबन्ध भी प्रकाशित किए जाते हैं। हरियाणा के लेखकों के हिन्दी तथा पंजाबी कहानियों, कविताओं, एकांकियों, निबन्धों के संकलन प्रकाशित किए जाते हैं। इस अवधि में हरियाणा के लेखकों की जीवनावलियां, हरियाणा के नगरों पर मोनोग्राफ, हरियाणा की बोलियों पर

मोनोग्राफ, हरियाणा की कलाओं पर पुस्तकें तथा हरियाणा के इतिहास एवं पुरातत्व पर लगभग 15 पुस्तकें लेखन/सम्पादन की प्रक्रिया में रही । स्टोर में भण्डारण की समस्या को ध्यान में रखते हुए पुस्तक प्रकाशन को कार्यवाही धीमी की गई है और इनकी बिक्री पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान मद्य निषेध पर "नवचेतना" शीर्षक पुस्तक प्रकाशित की गई ।

(2) लेखक गोष्ठियों/साहित्यिक उत्सवों का आयोजन

राज्य में साहित्यिक वातावरण पैदा करने तथा लेखकों एवं आलोचकों को विचार विनिमय हेतु एक मंच पर एकत्रित करने के लिए हिन्दी, हरियाणवी, संस्कृत तथा पंजाबी लेखक गोष्ठियों/कवि सम्मेलनों तथा अन्य साहित्यिक उत्सवों का आयोजन किया जाता है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 28-8-96 को कुरुक्षेत्र में संस्कृत लेखक गोष्ठी का आयोजन किया गया । इस गोष्ठी में 150 लेखकों ने भाग लिया । दिनांक 27-3-97 को रोहतक में साहित्य पुरस्कार समारोह एवं हिन्दी लेखक गोष्ठी का आयोजन किया गया । पुरस्कार समारोह में वर्ष 94-95 के साहित्य पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए । गोष्ठी में 3 विद्वानों द्वारा अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए गए । इस आयोजन में लगभग 200 लेखकों ने भाग लिया ।

3. साहित्यिक पुरस्कार

अकादमी द्वारा हर वर्ष हिन्दी, हरियाणवी, पंजाबी तथा संस्कृत सर्वोत्तम साहित्यिक पुस्तकों के हरियाणा अधिवासी लेखकों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ पाई पुस्तकों के लेखकों को 5000/- रुपए तक की राशि के पुरस्कार दिए जाते हैं । वर्ष 1994-95 के अन्तर्गत पुरस्कार के लिए स्वीकृत लेखकों को 40000/- रुपए की राशि वितरित की गई है । वर्ष 1996-97 के अन्तर्गत प्राप्त प्रविष्ठियों को मूल्यांकन के लिए भेजा गया है तथा परिणाम संकलित किए जा रहे हैं । वर्ष 1995-96 के पुरस्कार संस्तुत करने के लिए पुरस्कार अनुदान समिति की बैठक आयोजित की गई ।

4. पुस्तक प्रकाशनार्थ सहायतानुदान

अकादमी द्वारा हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी तथा हरियाणवी के लेखकों को अपनी अप्रकाशित पुस्तकों को प्रकाशित करवाने के लिए सहायतानुदान दिया जाता है । जिन लेखकों की पाण्डुलिपियां अनुदान के लिए स्वीकृत की जाती है उन्हें 5000/– रुपए या प्रकाशन व्यय का 50% जो भी कम हो, के बराबर राशि अनुदान के रूप में दी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित 8 पुस्तकों के प्रकाशन के लिए रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान 30000/– रुपए की राशि सहायतानुदान के रूप में प्रदान की गई । वर्ष 1995–96 के लिए आमन्त्रित प्रविष्ठियों के अनुदान संस्तुत करने के लिए पुरस्कार/अनुदान समिति की बैठक आयोजित की गई । वर्ष 1996–97 के अन्तर्गत प्राप्त प्रविष्ठियों को मूल्यांकन के लिए भेजा गया तथा परिणाम संकलित किए जा रहे हैं ।

5. स्वैच्छिक साहित्यिक संस्थाओं को साहित्यिक समारोहों के आयोजन के लिए सहायतानुदान

राज्य की स्वैच्छिक साहित्यिक संस्थाओं को साहित्यिक समारोहों के आयोजन के लिए सहायतानुदान दिया जाता है । रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न आयोजनों के लिए सहायतानुदान हेतु राज्य भर से प्राप्त आवेदन–पत्रों के आधार पर 11 साहित्यिक आयोजनों के लिए 42,000/– रुपए की राशि का भुगतान किया गया ।

6. हिन्दी कहानी प्रतियोगिता

राज्य के लेखकों को बढ़ावा देने के लिए अकादमी द्वारा हिन्दी कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है । रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान 1994–95 के अन्तर्गत पुरस्कृत कहानियों को 2250/– रुपये की राशि वितरित की गई । वर्ष 1995–96 के लिए आमन्त्रित प्रविष्ठियों के परिणाम शीघ्र घोषित किए जा रहें है । वर्ष 1996–97 के अन्तर्गत प्राप्त प्रविष्ठियों का मूल्यांकन के लिए भेजा गया तथा परिणाम संकलित किए जा रहें

7. साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन

अकादमी द्वारा "हरिगन्धा" नाम से एक द्विमासिक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इसमें सृजनात्मक रचनाओं तथा कविताओं, कहानियों ललित निबन्धों, एकाकियों के साथ–साथ समीक्षात्मक लेख तथा हरियाणा की कला, संस्कृति, इतिहास, साहित्य एवं लोक साहित्य पर लेख भी सम्मिलित किये जाते हैं। रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित की जाती रही है।

8. साहित्यकारों का अभिनन्दन

अकादमी द्वारा लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकारों के अभिनन्दन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं :

1 सूर पुरस्कार (किसी भी भाषा में)

2 बाबू बालमुकुन्द गुप्त पुरस्कार (हिन्दी)

3 महर्षि वेद व्यास पुरस्कार (संस्कृत)

4 प0 लख्मीचन्द पुरस्कार (हरियाणा की कला, संस्कृति, इतिहास, लोक साहित्य)।

5 डा0 राम मनोहर लोहिया के चिन्तन पर साहित्य पुरस्कार ।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक साहित्यकार को सूर पुरस्कार के अन्तर्गत पुरस्कार के रूप में 25000/– रुपये की राशि उत्तरीय तथा प्रशस्ति पत्र में किये जाते है। शेष पुरस्कारों की स्थिति में पुरस्कार राशि 11,000/– रुपये है सम्मानार्थ सहित्यकारों के चयन हेतु उनके बाया डाटा तैयार किये गये।

II ग्रन्थ अकादमी प्रभाग

विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा मानविकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्व विषयों में मानकग्रन्थों का निर्माण किया जाता हैं। विषय के विद्वानों से

मौलिक पुस्तकें लिखवाई तथा प्रकाशित की जाती हैं, अन्य भाषाओं के स्तरीय प्रकाशनों का अनुवाद करवाया जाता है तथा उन्हें प्रकाशित किया जाता है। अकादमी द्वारा अब तक 201 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 2 नयी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं तथा 4 पुस्तकों के परवर्ती संस्करण निकाले गये। ग्रन्थ निर्माण की पुस्तक प्रस्तुत योजना भारत सरकार के प्राप्त अनुदान से कार्यान्वित की जा रही है।

रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान विभिन्न विषयों की 20 नयी विश्व-विद्यालय स्तरीय पुस्तकें लेखनाधीन हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 7.65 लाख रुपये के ग्रास मूल्य की पुस्तकों की बिक्री की गई।

वर्ष 1996-97 में कोई नया पद नहीं भरा गया।

(2) हरियाणा पंजाबी अकादमी

पंजाब हरियाणा का पड़ौसी राज्य होने के कारण तथा पंजाब की राजकीय भाषा पंजाबी होने के कारण हरियाणा में भी पंजाबी साहित्य तथा पंजाबी भाषा के विकास के लिए वर्ष 1996-97 में हरियाणा पंजाबी अकादमी की स्थापना की गई। रिपोर्टाधीन अवधि की अन्तिम अवधि में अकादमी की स्थापना होने के कारण वर्ष 1996-97 में कोई विशेष कार्य नहीं किया जा सका। दिनांक 23-3-97 को केवल स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया तथा इस दिन एक कवि दरबार का भी आयोजन किया गया।

(3) हरियाणा उर्दू अकादमी

हरियाणा साहित्य अकादमी की तर्ज पर राज्य में एक उर्दू अकादमी भी कार्यरत है। उर्दू अकादमी का मुख्य उद्देश्य राज्य में उर्दू का प्रचार तथा प्रसार करना है। इसके अतिरिक्त हरियाणा साहित्य अकादमी की तर्ज पर उर्दू अकादमी का भी हरियाणा की कला संस्कृति, इतिहास एवं उर्दू साहित्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित पुस्तकों का उर्दू में प्रकाशन करवाती है। उर्दू लेखकों को उनकी पुस्तकें प्रकाशित करवाने के लिए सहायता अनुदान

देती है, साहित्यकारों मुशायरों सैमीनारों तथा उर्दू गोष्ठियां का आयोजन, करती है, उर्दू साहित्यकारों को पुरस्कार देती है, उर्दू पत्रिकाओं का प्रकाशन करवाती है तथा स्वैच्छिक साहित्यिक संस्थाओं को साहित्यिक समारोहों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान देती है।

रिपोर्टाधीन अवधि में अकादमी द्वारा द्विमासिक पत्रिका "खबरनामा" तथा त्रैमासिक पत्रिका जमनातट का नियमित प्रकाशन किया गया। अकादमी द्वारा उर्दू सीखने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए हरियाणा के विभिन्न शहरों में उर्दू केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। वर्ष 1996-97 में ऐसे तीन नये केन्द्रों की स्थापना की गई। अकादमी द्वारा केन्द्रों में उर्दू सीखने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आसान उर्दू कायदे का प्रकाशन किया गया। अकादमी द्वारा 7 अखिल भारतीय तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय मुशायरे का आयोजन किया गया तथा 5 स्वैच्छिक संस्थाओं को साहित्यिक समारोहों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान दिया गया। अकादमी एवं अन्जुम तरक्की उर्दू हिन्द तथा ख्वाजा गुलामुसय्य देन मैमोरियल द्वारा पानीपत में दो दिवसीय अखिल भारतीय हाली सैमीनार का आयोजन किया गया। शराबबन्दी विषय पर नाटक (बिना छत के घर) का विमोचन किया गया।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-10025
Date 05-01-99
NIEPA DC
D10025

29783—D.P.I.(H)—H.G.P., Chd.